न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला शाहपुरा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री मुकेश कुमार मीणा, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 222/2023

उनवान

1– गोपाल पुत्र मांगिया भील निवासी कल्याणपुरा तहसील शाहपुरा
2– मु. देउ पत्नी हीरा भील निवासी कल्याणपुरा तहसील शाहपुरा
3– नारायण पुत्र हीरा भील निवासी कल्याणपुरा तहसील शाहपुरा
4– मु. पानी देवी पत्नी सुवा भील निवासी कल्याणपुरा तहसील शाहपुरा
5– मु. बाली पुत्री मांगिया भील निवासी कल्याणपुरा तहसील शाहपुरा
6– रामस्वरूप पुत्र हीरा भील निवासी कल्याणपुरा तहसील शाहपुरा
7– मु. लादी पुत्री मांगिया भील निवासी कल्याणपुरा तहसील शाहपुरा
8– सांवरा पुत्र हीरा भील निवासी कल्याणपुरा तहसील शाहपुरा
9– सांवर कुमार पुत्र सुवा भील निवासी कल्याणपुरा तहसील शाहपुरा

– प्रार्थीगण

बनाम

1– रामकरण पुत्र नाना भील निवासी कल्याणपुरा तहसील शाहपुरा
2– धन्ना पुत्र रामा खारोल निवासी कल्याणपुरा तहसील शाहपुरा
3– लादु पुत्र छोटू भील निवासी कल्याणपुरा तहसील शाहपुरा
4– भेरू पुत्र जगन्नाथ खारोल निवासी कल्याणपुरा तहसील शाहपुरा
5– मोहन पुत्र हजारी भील निवासी कल्याणपुरा तहसील शाहपुरा
6– तहसीलदार शाहपुरा जिला शाहपुरा

– विपक्षीगण

उपस्थिति :– श्री कन्हैयालाल धाकड : अधिवक्ता प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 07/02/2024

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – ग्राम कादीसहना **पटवार हल्का कादीसहना** तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 1883 रकबा 0.34 है0, 1885 रकबा 1.91 है0, 1886 रकबा 0.48 है0 कुल किता 3 रकबा 2.73 हैक्टेयर के प्रार्थीगण **संयुक्त खातेदार** काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर **विपक्षीगण** को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से एकतरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम कादीसहना पटवार हल्का **कादीसहना संवत 2076 से 2079** तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् प्रार्थीगण के **संयुक्त खातेदारी में** दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा **कादीसहना** में स्थित **प्रार्थीगण** की उपरोक्त **संयुक्त खातेदारी** की आराजीयात् **किता 3 रकबा 2.73 हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर **फीस 1100/– रूपये** कायम किये जाते है, जो प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **07/02/2024** को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला शाहपुरा (राज.)
शाहपुरा जिला शाहपुरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला-शाहपुरा (राज.)

प्रतिलिपि :– तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला शाहपुरा